संख्या-182/2018/2898/26-3-2018

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 30 अगस्त 2018

विषय: **रिट याचिका संख्या-50989/2017 स्व0 अमरनाथ आनन्द ट्रस्ट बरेली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनाक-01.11.2017 के अनुपालन में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1871-73/स.क./शिक्षा-अ/01/ 1019/2018-19, दिनाक-16.08.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में एन.आई.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल/ट्रान्जेक्शन फाइल के अनुसार याची संस्था में वर्ष 2015-16 में अध्ययन प्राप्त अनुसूचित जाति के 42 छात्रों की छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु धनराशि रूपया-25,75,880 (रूपये पच्चीस लाख पचहत्तर हजार आठ सौ अस्सी मात्र) के भुगतान की अनुमति अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 में जारी वित्तीय स्वीकृति से इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कुल व्यय को बजट प्राविधान के अन्तर्गत रखा जाना सुनिश्चित करेंगे।

2- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.संख्या-182/2018/2898(1)/26-3-2018 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
4. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु साचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।